

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

संख्या- 08/वरीय विविध-13/2024का0...7994 /राँची, दिनांक...10/12/24

झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा के निम्न न्यायिक पदाधिकारी को विभागीय संकल्प संख्या-1459, दिनांक-27.02.2024 की कंडिका-2(IX) के तहत विहित शर्तों के अधीन स्तम्भ-6 में अंकित तिथि के प्रभाव से उच्च योग्यता भत्ता हेतु L.L.M की उपाधि पर तीन अग्रिम वेतनवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	नाम/पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन	उच्च योग्यता		योगदान की तिथि	उच्च योग्यता भत्ता की देय तिथि	विभागीय संकल्प संख्या-4328, दिनांक-24.05.2016 के आलोक में एल0एल0एम0 उपाधि पर पूर्व में दी गई स्वीकृति की तिथि
		उपाधि	निर्गत/कन्वोकेशन तिथि			
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री दिनेश राय, पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, हजारीबाग।	L.L.M	12.01.2017	11.06.2002	12.01.2017	—
2.	श्रीमती कशिका एम0 प्रसाद, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, ST&SC के अंतर्गत मामले, हजारीबाग।	L.L.M	22.02.2002	05.06.2002	05.06.2002	—
3.	श्री प्रतीक चतुर्वेदी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, डालटेनगंज।	L.L.M	08.02.2010	11.07.2024	11.07.2024	—
4.	सुश्री श्वेता ढिंगरा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, डालटेनगंज।	L.L.M	31.03.2012	28.11.2023	28.11.2023	—

- उक्त अग्रिम वेतन वृद्धि वेतन का हिस्सा होगी और महंगाई भत्ता तदनुसार अनुमान्य होगी।
- उपर्युक्त न्यायिक पदाधिकारियों को उच्च योग्यता भत्ता का लाभ इस शर्त के साथ देय होगा कि उन्हें इस सम्बन्ध में पूर्व में एल0एल0एम0 उपाधि पर दिये गये लाभ की राशि का समायोजन कर लिया जायेगा।
- झारखण्ड उच्च न्यायालय के अग्रसारण पत्र के साथ संलग्न न्यायिक पदाधिकारियों के एल0एल0एम0 उपाधि प्रमाण-पत्र की वैधता पर झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा संपुष्ट होने के उपरांत ही उक्त भत्ते का भुगतान किया जा सकेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

09/12/24
(आसिफ हसन)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-08/वरीय विविध-13/2024का0.....7994...../राँची, दिनांक-10/12/24
प्रतिलिपि:- विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
विभाग, झारखण्ड, राँची को ई-गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

09/12/2024
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-08/वरीय विविध-13/2024का0.....7994...../राँची, दिनांक-10/12/24
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय,
झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड,
राँची/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखण्ड,
राँची/सचिव का कोषांग, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान
सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचना एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/12/2024
सरकार के संयुक्त सचिव।